झारखण्ड सरकार

विज्ञान, प्राद्यौगिकी एवं सूचना तकनीकी विभाग ।

पत्र सं0- वि0प्रा0/स्था0/59/2001- 748 राँची, दिनांक- 2/6/03

प्रेषक:

श्री मोहन पात्र,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना/पो0-डोरण्डा, राँची ।

द्वारा: * वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विषय: विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी तथा सूचना तकनीकी विभागाधीनस्थ डिप्लोमा स्तरीय राजकीय पॉलिटेकनिक/महिला पॉलिटेकनिक सहित/एवं खनन संस्थान के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित वेतनमान, सेवा-शर्तें दिनांक 1.1.96 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे निदेशानुसार कहना है कि विभागाधीनस्थ राजकीय पॉलिटेकनिक/महिला पॉलिटेकनिक सहित/एवं राजकीय खनन संस्थानों में दिनांक 5.1.79 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय/शिक्षा/ नई दिल्ली के पत्र सं0-एफ0-6/89 टी.एस./टी.डी.-IV दि0 20.3.89 द्वारा स्वीकृत वेतनमान एवं सेवा-शर्तें दिनांक 1.1.86 के प्रभाव से विभागीय राज्यादेश सं0-वि0प्रा0/ब.3/226/89-2940 दि0 30.10.91 के अनुसार लागू है ।

2. राज्य सरकार ने ए.आई.सी.टी.ई. के पत्रांक-एफ. सं0-1-65/सी.डी./एन.ई. सी./98-99 दि. 30.12.99/छायाप्रति संलग्न अनु0-1/द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों के लिए अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान, नियुक्ति की अर्हता/योग्यता, कैरियर एडवांसमेंट योजना में प्रोन्नति, सेवा-शर्तें एवं बंधन/सेवानिवृत्ति की आयु सीमा, पुस्तक, जर्नल्स, व्यक्तिगत कम्प्युटर की खरीद पर व्यय सहित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लेने हेतु निबंधन शुल्क, टी0ए0/डी0ए0 की प्रतिपूर्ति को छोड़कर/इन संस्थानों में दिनांक 5.1.79 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में दि. 1.1.96 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है । पुनरीक्षित वेतनमान निम्नांकित तालिका -1 के अनुसार तथा कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान तालिका-2 के अनुसार अनुमान्य होगा ।

तालिका - 1

क्रम सं0	संवर्ग	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	व्याख्याता	रु0-2200-4000	रु0-8000-275-13,500
2.	वरीय व्याख्याता	रु0-3000-5000	रु0-10,000-325-15,200
3.	विभागाध्यक्ष	रु0-3700-5700	रु0-12,000-420-18,300
4.	प्राचार्य	रु0-4500-6300	रु0-16,400-450-20,000

कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान

ता लि का - 11.

क्रम सं0	संवर्ग	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	रु0-3000-5000	रु0-10,000-325-15,200.
2.	व्याख्याता (प्रवर कोटि)	रु0-3700-5700	रु0-12,000-420-18,300.

3. इन संस्थानों के लिए मौलिक पदों की संवर्गीय संरचना, पदों का आपसी अनुपात, शिक्षक एवं छात्र अनुपात ए.आई.सी.टी.ई. के प्रासंगिक पत्र के अनुरूप होगा ।

4. सभी संवर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन द्वारा खुली चयन प्रक्रिया से मेधा के आधार पर की जायेगी। नियुक्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक/ [illegible], योग्यता एवं अनुभव ए.आई.सी.टी.ई. के प्रासंगिक पत्रांक [illegible] के अनुरूप होगी। इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्हता/योग्यता एवं शर्तों का पालन किया जायेगा। उक्त पत्र की कंडिका-7 में यथा-प्रावधानित नियुक्ति में उच्चतर योग्यता के लिए प्रोत्साहन [illegible] ।

5. इन संस्थानों के शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. के प्रासंगिक पत्र के प्रावधानों के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की जायेगी तथा इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्डों एवं मार्गदर्शन का अनुसरण किया जायेगा। कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) तथा व्याख्याता (प्रवर कोटि) के पद स्वीकृत मौलिक संवर्गीय पदों में यथा प्रावधानित पदों के अन्तर्गत होंगे। ये पद संस्थान अन्तर्गत विभागवार/शाखावार व्याख्याता के स्वीकृत कुल पदों की संख्या के अधिकतम सीमा के अंतर्गत होंगे।

6. पुनरीक्षित वेतनमान वैचारिक रूप से दिनांक 1.1.96 से लागू होगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण ए.आई.सी.टी.ई. के प्रासंगिक पत्र के आलोक में केन्द्रीय असैनिक सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 1997 की कंडिका-7 तथा अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। वेतन का निर्धारण दिनांक 1.1.96 से वैचारिक रूप से करते हुए वास्तविक भुगतान दि0 15.11.2000 से देय होगा तथा दि0 15.11.2000 से बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

7. पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रियानुसार नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को ही देय होगा।

8. सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूर्ववत 60 (साठ) वर्ष होगी।

9. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी पॉलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ता राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप देय होगा।

10. दि. 1.1.96 के पूर्व के किसी तिथि से जो शिक्षक ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रावधानित तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत प्रोन्नति की पात्रता रखते हों उन्हें उक्त योजना में सामंजित कर प्रोन्नति का लाभ देते हुए संगत पुनरीक्षित वेतनमान की सुविधा दी जायेगी।

:: 3 ::

11. वेतनमान पुनरीक्षण विषयक इस आदेश के निर्गम की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर कार्यरत शिक्षकों को दि० 1.1.96 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा-शर्तें अथवा अपुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें में रहने का विकल्प देना होगा तथा दिया गया विकल्प अंतिम होगा। निर्धारित तिथि तक विकल्प नहीं देने वाले शिक्षकों के मामले में यह समझा जायेगा कि वे पुनरीक्षित वेतनमान तथा तदनुसार सेवा-शर्तें में रहेंगे।

12. शिक्षकों का कार्य-बोझ तथा कार्य दायित्व ए.आई.सी.टी.ई. के पत्रांक-एफ/नं०-1-65/सी.डी./एम.ई.सी./98-99 दिनांक 30.12.99 (अनु०-II) की कंडिका-11 एवं परिशिष्ट-"सी" के अनुसार होगा।

13. वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण वित्त विभाग की सहमति/परामर्श से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।

14. पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य सेवा-शर्तें लागू करने के क्रम में इस आदेश के निर्गम की तिथि से राज्य सरकार के संबंधित नियम/परिनियम/परिपत्र तदनुसार संशोधित समझे जाएंगे।

15. वेतन पुनरीक्षण विषयक पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं०-वि०प्रा०/एफ०टी०-59/2001-567 दिनांक 10.4.03 को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

अनु०: यथोक्त।

(महेश्वर प्रसाद)
सरकार के सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी,
झारखण्ड सरकार, राँची।

ज्ञापांक:- 748 राँची, दिनांक- 2/6/03

प्रतिलिपि: अनुलग्नक सहित, वित्त विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी।

ज्ञापांक- 748 राँची, दिनांक- 2/6/03

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी।

राँची, दिनांक-

ज्ञापांक:

प्रतिलिपि: अनुलग्नक सहित उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा) शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को उनके कार्यालय पत्रांक-37-104/98टी.एस. II दि. 14.1.1999 एवं ए.आई.सी.टी.ई. के पत्रांक-एफ.नं-1/65/एन.ई.सी./98-99 दि. 30.12.1999 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी।

राँची, दिनांक- 2/6/03

ज्ञापांक- 748

प्रतिलिपि: सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गाँधी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी

राँची, दिनांक- 2/6/03

ज्ञापांक: 748

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी।

राँची, दिनांक- 2/6/03

ज्ञापांक- 748

प्रतिलिपि: निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी / निदेशक, आर०आई०टी० जमशेदपुर / सभी प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेकनिक/महिला पॉलिटेकनिक सहित एवं अन्य संस्थान / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के निदेशक / अन्य सभी पदाधिकारीगण एवं सभी सहायक को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी
झारखण्ड सरकार, राँची